

# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/5749

दिनांक : 5/12/19

## आदेश

सा.आ. 133(19) - राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 59(12) के उपबन्ध (क) के प्रावधानों के अनुसार मतपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे। उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 9500 दिनांक 17.12.2014 (सां. आ. 101/2014) के द्वारा पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान एवं जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्ररूप विहित किया हुआ है।

आयोग अपने उक्त आदेश क्रमांक 9500 दिनांक 17.12.2014 (सां. आ. 101/2014) को अधिक्रमित करते हुए पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान एवं जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्ररूप निम्नांकित रूप से विहित करता है:-

1. मतपत्र की चौड़ाई 4 इंच होगी।
2. पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान एवं जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख पदों के चुनाव हेतु प्रत्येक मतपत्र के ऊपरी भाग में 2.5 से.मी. की जगह होगी, जिसमें क्रमानुसार निम्नांकित विशिष्टियां/विवरण अंकित होगा:-
  - (क) ऊपरी भाग पर काली सीमा रेखा (Border Line) होगी।
  - (ख) बायीं ओर मतपत्र का क्रमांक होगा।
  - (ग) पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान के लिए 'प्रधान पद का निर्वाचन' अथवा 'उप प्रधान पद का निर्वाचन', पंचायत समिति का नाम, निर्वाचन की विशिष्टियां यथा साधारण निर्वाचन अथवा उप निर्वाचन सांकेतिक शब्दों में एवं चुनाव का वर्ष, उदाहरणार्थ साधारण निर्वाचन, 2020 के लिए "सा.नि./20....." एवं उप निर्वाचन, 2020 के लिए "उ.नि./20....." अंकित किया जाएगा। उक्त विवरण/विशिष्टियां बिन्दु संख्या (क) में वर्णित काली सीमा रेखा (Border Line) के नीचे दायीं ओर एक के नीचे एक अंकित होगी।
  - (घ) जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख के लिए 'प्रमुख पद का निर्वाचन' अथवा 'उप प्रमुख पद का निर्वाचन', जिला परिषद का नाम, निर्वाचन की विशिष्टियां यथा साधारण निर्वाचन अथवा उप निर्वाचन सांकेतिक शब्दों में एवं चुनाव का वर्ष एक के नीचे एक उप बिन्दु (ग) के अनुसार अंकित किया जाएगा।
  - (ङ) ऊपरी भाग को मतपत्र से पृथक करने हेतु काली सीमा रेखा (Border Line) होगी।
3. निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) सहित समस्त पैनलों को छायादार (Shaded) पट्टी से पृथक किया जाएगा। प्रत्येक छायादार पट्टी की ऊँचाई 1.25 से.मी. होगी।
4. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के लिए प्रत्येक पैनल की ऊँचाई 2.5 से.मी. होगी।
5. पैनलों में अभ्यर्थियों के नाम एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) बायीं ओर तथा इनके लिए निर्धारित प्रतीक दायीं ओर अंकित होंगे।
6. अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के सम्मुख उनके लिए निर्धारित प्रतीक का आकार 3.5 x 2.0 से.मी. (चौड़ाई x ऊँचाई) से अधिक नहीं होगा।
7. मतपत्र के निचले हिस्से में भी एक काली सीमा रेखा (Border Line) होगी।
8. मतपत्र पर विशिष्टियां हिन्दी में देवनागरी लिपि में होंगी।
9. किसी निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 9 तक होने पर मतपत्र एक स्तम्भ में होगा। निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 9 से अधिक किन्तु 18 तक होने की स्थिति में मतपत्र दो स्तम्भों में होगा। इस स्थिति में निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित विषम में होने पर मतपत्र के दाहिने/अंतिम स्तम्भ का अंतिम पैनल पूर्णतया छायादार (Shaded) होगा।

उदाहरण :- 1. यदि नोटा सहित चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 12 है, तो मतपत्र दो स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 6 अभ्यर्थियों के नाम एवं द्वितीय स्तम्भ में शेष 5 अभ्यर्थी एवं



इसके पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। इस स्थिति में कोई भी पैनल रिक्त नहीं होगा।

**उदाहरण :-** 2. यदि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 13 है, तो मतपत्र दो स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 7 अभ्यर्थियों के नाम एवं द्वितीय स्तम्भ में शेष 5 अभ्यर्थियों के नाम एवं इसके पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। दोनों स्तम्भों का आकार समान रखने के लिए अंतिम पैनल छायादार (Shaded) होगा।

10. किसी निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 18 से अधिक होने की स्थिति में मतपत्र तीन स्तम्भों में होगा एवं यही प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। मतपत्र के तीन या इससे अधिक स्तम्भों में होने की स्थिति में अंतिम स्तम्भ को छोड़कर पूर्व के सभी स्तम्भों में अंकित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या समान होगी। अंतिम स्तम्भ में नोटा के पश्चात् एक से अधिक पैनल रिक्त रह सकते हैं। ऐसे रिक्त पैनल पूर्णतया छायादार (Shaded) होंगे।

**उदाहरण :-** 1. यदि नोटा सहित चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 20 है, तो मतपत्र तीन स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 7 अभ्यर्थियों के नाम, द्वितीय स्तम्भ में अगले 7 अभ्यर्थियों के नाम एवं तृतीय स्तम्भ में शेष 5 अभ्यर्थी एवं इसके पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। अंतिम पैनल छायादार (Shaded) होगा।

**उदाहरण :-** 2. यदि नोटा सहित चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 27 है, तो मतपत्र तीन स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 9 अभ्यर्थियों के नाम, द्वितीय स्तम्भ में अगले 9 अभ्यर्थियों के नाम एवं तृतीय स्तम्भ में शेष 8 अभ्यर्थी के नाम के पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। इस स्थिति में कोई भी पैनल रिक्त नहीं होगा।

**उदाहरण :-** 3 यदि नोटा सहित चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 22 है, तो मतपत्र तीन स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 8 अभ्यर्थियों के नाम, द्वितीय स्तम्भ में अगले 8 अभ्यर्थियों के नाम एवं तृतीय स्तम्भ में शेष 5 अभ्यर्थी के नाम के पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। इस स्थिति में अंतिम दो पैनल छायादार (Shaded) होंगे।


11. मतपत्र के दो या अधिक स्तम्भों में होने पर प्रत्येक स्तम्भ की चौड़ाई 4 इंच होगी।
12. मतपत्र दो अथवा दो से अधिक स्तम्भों में होने की स्थिति में दो स्तम्भों के मध्य 1 से.मी. मोटाई की छायादार खड़ी लाईन प्रथम पैनल से उस स्तम्भ के अंतिम पैनल तक अंकित होगी।
13. निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णानुक्रम में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार एक दूसरे के नीचे यथास्थिति प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि स्तम्भों में अंकित किए जाएंगे। अंतिम अभ्यर्थी के बाद नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा।
14. मतपत्र एक स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान के लिए नमूना मतपत्र क्रमशः परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर एवं जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख के लिए नमूना मतपत्र क्रमशः परिशिष्ट-3 एवं परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

आज्ञा से,  
  
(श्याम सिंह सजपुरोहित)  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
एवं सचिव









दिनांक 5/12/19

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/ 5750-571  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट शासन सचिव एवं निर्देशक, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), राजस्थान।
4. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में तत्काल प्रकाशनार्थ।
5. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को ई-मेल एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित करने एवं राजपत्र में प्रकाशन के लिए ई-गजट पर अपलोड करने हेतु।

  
(अशोक कुमार जैन)  
उप सचिव

पंचायत समिति के प्रधान निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना  
(मतपत्र एक स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

प्रधान पद का निर्वाचन पंचायत समिति का नाम .....	
सा. नि. / 20.....	
No. 0659562	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
नोटा (इनमें से कोई नहीं)	